न्यायालय :–पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी(म.प्र.)

ST No.B.A/43/2023
IA No-/01/2023
P.S.-Rangnathnager,
District-Katni, MP
CrimeNo.336/2022,Sec. 395, 120बी, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. 1860

शहबाज सिद्दीकी उर्फ परसादी वल्द श्री हासिम सिद्दीकी, निवासी–बड़की सारिमपुर, अजान दादा मजार के पास, औद्योगिक क्षेत्र बक्सर(बिहार)

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा पुलिस थाना रंगनाथनगर
जिला–कटनी(म.प्र.) ..... अनावेदक/अभियोजन

प्रतिलिपि आदेश पत्रिका

28.04.2023 राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री नारायण तिवारी उपस्थित।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा से जिला जेल कटनी से पेश नहीं, जेल वारंट प्राप्त।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से श्री सुरेन्द्र पाठक अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज अभियुक्तगण की ओर से दिनांक–13.04.2023 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश एवं आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दीकी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दंड प्रक्रिया पर आदेश हेतु नियत है।

इस आदेश के द्वारा सर्वप्रथम अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र वास्ते जप्तशुदा सी.सी.टी.व्ही. फुटेज संबंधी पेनड्राइव बुलाये जाने दिनांकित–13.04.2023 का निराकरण किया जा रहा है।

उक्त प्रश्नगत आवेदन–पत्र के अधीन अभियुक्तगण की ओर से संक्षेप में यह व्यक्त करते हुए कि अभियुक्तगण को चालन में दर्शित सी.सी.टी.व्ही. फुटेज जो पेज नंबर–339, 340, 341, से 350 तक तथा पेज नंबर–355 से पेज नंबर–364 तक दर्शित है से संबंधित पेन ड्राइव जो चालन में दर्शित है प्रदान नहीं की गई है। अतः सी.सी.टी.व्ही.फुटेज की पेनड्राइव बुलाई जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त प्रश्नगत आवेदन–पत्र के

लिखित उत्तर में संक्षेप में यह व्यक्त करते हुए कि उक्त तथाकथित पेन ड्राइव की जप्ती की जप्ती होने का जप्तीपत्रक नहीं है, जो पेज नंबर–339 से 350 एवं 355 से 364 के सी.सी.टी.व्ही. फुटेज से पहचान संबंधी दस्तावेज हैं, के बचाव पक्ष को पूर्व में ही प्रदान किये जा चुके हैं। अभियोग–पत्र के साथ उक्त संबंधी पेन ड्राइव प्रस्तुत नहीं है, अतः उक्त प्रश्नगत आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट होता है उसमें अभियोग–पत्र के साथ पुलिस के द्वारा उक्त तथाकथित पेन ड्राइव प्रस्तुत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि अभियोग–पत्र के साथ पुलिस के द्वारा उक्त तथाकथित पेन ड्राइव प्रस्तुत ही नहीं की गई है, तब उसे अभियुक्तगण को बिना प्रस्तुत हुए नहीं दिलाया जा सकता है, अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रश्नगत आवेदन–पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>अब इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दीकी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दंड प्रक्रिया का निराकरण किया जा रहा है।</u>

आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दकी का उक्त जमानत आवेदन–पत्र शपथकर्ता श्री रवि कुमार गुप्ता पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, निवासी–बक्सर(बिहार) द्वारा निष्पादित शपथ–पत्र दिनांकित–21.04.2023 आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के समर्थन में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह परिसाक्ष्य किया है कि, आवेदक से संबंधित कोई भी प्रतिभूति याचिका इस न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित या निराकृत नहीं हुई है तथा आवेदक का यह **प्रथम** जमानत आवेदन–पत्र है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–439 के अंतर्गत आवेदन दिनांक–24.04.2023 के द्वारा थाना–रंगनाथनगर के अपराध क्रमांक–336/2022, अंतर्गत धारा–395, 120बी, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में आवेदक को प्रतिभूति पर निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आज दिनांक तक आवेदक से संबंधित कोई भी प्रतिभूति आदेश माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया हो, इस न्यायालय को अभिप्राप्त नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दीकी के द्वारा जमानत आवेदन में व्यक्त किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को पुलिस थाना रंगनाथनगर द्वारा अपराध क्रमांक–336/2022 अंतर्गत धारा–395, 120बी, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अंतर्गत

गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के समक्ष पेश किया गया, जहॉ उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया। आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। उसका घटना से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। जमानत पर रिहा होने पर उनके भागने फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आरोपित अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त रमेश वंशकार को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।

राज्य की ओर से श्री नारायण तिवारी ए.जी.पी. ने जमानत आवेदन का घोर विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्कों के आलोक में प्रकरण के साथ संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में अभियोग यह है कि सूचनाकर्ता/अभियोगी अमन सोंधिया पिता हनुमान प्रसाद सोंधिया ने थाना रंगनाथनगर में इस आशय की देहाती नालसी दर्ज कराई कि वह मणप्पुरम गोल्ड लोन फाईनेंस लिमिटेड शाखा बरगवां, जिला–कटनी में असिस्टेंट शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ है, जो दुकान नंबर–514 के.पी. बजाज शोरूम के सामने जबलपुर रोड बरगवां थाना रंगनाथनगर जिला–कटनी में संचालित है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर–बी–1600029 एवं हेड ऑफिस केरला में है, जिसमें ग्राहको का सोना गिरवी रखकर लोन दिए जाने का काम किया जाता है। दिनांक–26.11.2022 को सुबह 09:30बजे करीब वह रोज की तरह शाखा बरगंवा में आकर गेट का ताला खोलकर अन्य स्टॉफ उमाशंकर पटैल, संदीप पटेल, मोहित विश्वकर्मा, आदर्श सिंह बघेल, गौरव सोनी, मोनिका यादव, श्रीलाल चौधरी, राहुल कोष्टी, मोहित रजक के साथ आकर आकर पंच किए और वह अपनी सीट पर बैठ गया। मोनिका मेडम साफ सफाई का काम करने लगी, कुछ देर बाद श्रीलाल चौधरी चाय पीकर शाखा के अंदर आये, इसके बाद 10:25बे करीब 06 अज्ञात लडके जो सभी अपने मुहॅ पर मास्क लगाए थे, जिसमें से दो लड़के हेलमेट व बाकी टोपी पहने हुए थे, शाखा के अंदर आए जो अपने पास में कट्टा लिए थे और स्टॉफ के साथ मारपीट करने लगे, उसमें से एक लड़का उसके पास आकर सिर में कट्टा लगाकर बोला कि बैंक में जो भी पैसा और सोना है तत्काल निकालकर दो, नहीं तो गोली मार देंगे, तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़का मेनगेट के पास खडे होकर

रैकी करने लगा तथा दूसरा लडका उमाशंकर पटेल, सुदीप पटेल, मोहित विश्वकर्मा को ले जाकर बाथरूम में बंद कर दिया तथा दो लड़के अन्य स्टॉफ आदर्श, गौरव, मोनिका, श्रीलाल, राहुल, मोहित रजक को हाथ पीछे कर जमीन में नीचे बैठा दिए, उसके सिर में कट्टा लगाने वाला लड़का एवं एक अन्य लड़का उसके साथ मारपीट कर चाबी लेकर लॉकर की तरफ चलने को बोले, तब उसने काउंटर से चाबी निकालकर सेफ रूम में ले गया, जहॉ उसने लॉकर खोला, तब वह लड़का बोला कि जल्दी–जल्दी इस झोला में पैसा व सोना रख दो, तब वह सभी लॉकरो को खोलकर उनके अंदर रखा सोना व नगदी करीब 3,56,842/–रूपये जिसमें दो हजार, पॉच सौ, दो सौ, पचास, बीस, दस के नोट व सिक्के निकालकर झोला में रख दिया। उसके बाद एक लड़का श्रीलाल चौधरी के साथ मारपीट कर उसकी मोटरसाईकिल की चाबी मांगा, श्रीलाल चौधरी के द्वारा चाबी देने पर वे लड़के बाहर निकल गये और बाहर रखी सी0डी0–डीलक्स मोटर साईकिल क्रमांक–एम0पी0–21–एम0एस0–3192 को लेकर भाग गये, कुछ देर बाद वे लोग बाहर निकलकर देखे और आस–पास के लोगों को बताये तथा पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दिये। उसके द्वारा घटना कारित करने वाले अज्ञात लड़को का हुलिया बताया गया। शाखा के लाकर में जितना सोना था, वे अज्ञात लड़के ले गये, इसकी जानकारी वह रिकॉर्ड देखकर बता पायेगा। उनकी शाखा में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है, जिसका कंट्रोल केरला के हेड ऑफिस में हैं, जहॉ से फुटेज प्राप्त होने पर उपलब्ध करा पायेंगा, शाखा में कोई सिक्योरिटी गॉर्ड नहीं है।

उक्त सूचना पर पुलिस आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर द्वारा अपराध क्रमांक–0/2023 अंतर्गत धारा–395 भा0दं0सं0 लेखबद्ध कर प्रारंभिक विवेचना उपरांत देहाती नालसी पर से असल अपराध क्रमांक–336/2022 धारा–395 दं0प्र0सं0 कायम कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दकी एवं अन्य को गिरफ्तार कर उनके मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा–120बी, 420, 467, 468, 471 भादंसं एवं धारा–25, 27 आर्म्स की अभिवृद्धि की गई। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् यह प्रकरण दिनांक–27.03.2023 को निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दकी की प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता निराधार प्रतीत नहीं होती है, उस पर घटना दिनांक–21.26.11.2022 को 10:25बजे अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर

मणप्पुरम गोल्ड लोन फाईनेंस लिमिटेड शाखा बरगवां, जिला–कटनी पर लगभग 03 लाख रूपये नगद एवं लगभग 17किलो सोना लूटने का गंभीर आक्षेप हैं, जोकि गंभीर प्रकृति के हैं, वर्तमान में लूट के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, ऐसी दशा में आक्षेपित अपराध सूक्ष्म या साधारण प्रकृति के होना परिलक्षित नहीं होते हैं। उक्त अपराधों में यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में इसका गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना उक्त आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दकी को नियमित प्रतिभूति का अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त आवेदक/अभियुक्त शहबाज सिद्दकी की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–439दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्वीकारयोग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण आरोप पूर्व तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण उक्त हेतु दिनांक–28.04.2023 को प्रस्तुत किया जावे।

सही/–
(एच.के. रघुवंशी)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
कटनी, म0प्र0